"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2011—आषाढ़ 31, शक 1933

विधि एवं विधायी कार्य विभाग.
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2011

आदेश

क्रमांक 5002/21-ब/छ.ग./2011.—छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम क्रमांक 29) की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एल. झंवर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करती है.

Raipur, the 22nd July 2011

ORDER

No. 5002/21-B/C.G./2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Madhyastam Adhikaran Adhiniyam, 1983 (Act No. 29 of 1983), the State Government hereby appoints Hon'ble Shri R. L. Jhanwar, Retd. Judge of Chhattisgarh High Court, Bilaspur as the Chairman of the Chhattisgarh Arbitration Tribunal from the date he assumes charge of the office for a period of five years or until he attains the age of 67 years whichever is earlier.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.